

| क्र०सं० | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--------------|
| 1 | खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड एक दृष्टि में। | 1-2 |
| 2 | खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के विभिन्न शाखाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण। | 3-7 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2010-11 एवम् वर्ष 2011-12 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ के क्रय का विवरण। | 8 |
| 4 | खरीफ-खरीद वर्ष 2011-12 में लेवी योजना के अन्तर्गत धान/चावल के क्रय का विवरण। | 9 |
| 5 | भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी का विवरण। | 10-12 |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2011-12 में ए०पी०एल० योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति। | 13 |
| 7 | वित्तीय वर्ष 2011-12 में बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति। | 14 |
| 8 | वित्तीय वर्ष 2011-12 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति। | 15 |
| 9 | वित्तीय वर्ष 2011-12 में लेवी चीनी एवम् मिट्टी तेल के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति। | 16 |
| 10 | वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तराखण्ड राज्य में रसोई गैस के वितरण की सूचना | 17 |
| 11 | वित्तीय वर्ष 2011-12 में किये गये पर्वतन कार्यों का विवरण | 18-20 |
| 12 | उत्तराखण्ड में उचित दर की दुकानों की संख्या का विवरण | 21 |
| 13 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के राशन कार्डों का विवरण | 22 |

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड एक दृष्टि में

भाग-1 (सामान्य)

राज्य में खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत चार शाखायें हैं जो क्रमशः विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, विधिक माप विज्ञान एवम् राज्य उपभोक्ता फोरम हैं।

विपणन शाखा :-

विपणन शाखा का मुख्य दायित्व कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान की खरीद, लेवी योजना के अन्तर्गत राज्य के राईस मिलर्स से लेवी चावल की खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की केन्द्रीय/स्टेटपूल से उठान, चीनी मिलों से चीनी की प्राप्ति तथा उसका सुरक्षित भण्डारण एवम् वितरण गोदामों को उसका सम्प्रेषण करना है। खाद्यान्न/चीनी के रख रखाव के लिये राज्य के मैदानी क्षेत्र में विपणन शाखा के पास 27 बेस/ब्लॉक गोदाम हैं, जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 42150 मी०टन है।

आपूर्ति शाखा :-

आपूर्ति शाखा का मुख्य कार्य बेस गोदाम से विभिन्न योजनाओं ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना/ एस०जी०आर०वाई० योजना के खाद्यान्न की आपूर्ति आन्तरिक गोदामों से सम्बन्धित क्षेत्र के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण कराया जाना है। मिट्टी का तेल, थोक विक्रेताओं से सम्बद्ध उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित स्केल के अनुसार कुल कार्डों के आधार पर वितरित करवाया जाता है। यह वितरण कार्ड धारकों के पास गैस कनेक्शन होने या न होने पर आधारित होता है। नियंत्रित दरों की आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी रोकने हेतु आकस्मिक निरीक्षण सम्पादित किये जाते हैं। आपूर्ति शाखा के अन्तर्गत 13 जनपदों में 174 आन्तरिक गोदाम हैं जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 52732.300 मी०टन है। राज्य में कुल सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों की संख्या-8760 है। जिसमें 7711 ग्रामीण क्षेत्र के तथा 1035 शहरी क्षेत्र में है।

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) :-

विधिक माप विज्ञान शाखा का मुख्य कार्य केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप प्रदेश में बाटों-मापों तथा तोलने एवम् मापने के यन्त्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवम् सत्यापन एवम् मुद्रांकन का कार्य सम्पादित करना एवम् तत्सम्बन्धी अन्य प्रकरणों यथा माप तोल का सही मात्रा में दिया जाना सुनिश्चित करना है।

राज्य आयोग उपभोक्ता फोरम :-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता को अपनी माल की हुई हानि की भरपाई करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति माल या सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उक्त माल या सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर सकता है। यह कानून अन्य कानूनों की भाँति दंडात्मक नहीं हैं। लेकिन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित पक्ष के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 एवम् 25 के अंतर्गत सजा, आर्थिक दंड एवं वसूली का भी प्रावधान हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्ष 2004 में संशोधन के उपरान्त अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में 20 लाख रूपयों के मूल्यांकन के परिवाद दाखिल किये जा सकते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 20 लाख रूपये से ऊपर एवं एक करोड तक के मूल्यांकन के परिवाद दाखिल किये जा सकते हैं। इससे ऊपर के मूल्यांकन के परिवाद माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में दाखिल किये जा सकते हैं।

भाग-2

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न शाखाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य का संक्षिप्त विवरण

(अ)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये खाद्यान्न योजना

1. बी०पी०एल०

- अ- बी०पी०एल० परिवारों को Subsidized Rate पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
- ब- उत्तराखण्ड राज्य में बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत 4,98,000 बी०पी०एल० परिवारों का चयन किया गया था, जिसमें 1,90,926 अन्त्योदय परिवार भी सम्मिलित थे। इस योजना के अन्तर्गत 3,07,074 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- स- इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों को सफेद रंग का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
- द- इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।
- य- राज्य के हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रति राशन कार्ड 24.750 किलो ग्राम चावल एवम् 10.250 किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। हरिद्वार जनपद में 12.140 किलो ग्राम चावल तथा 22.860 किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।
- र- इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार के निर्देशानुसार ₹ 6.15 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् ₹ 4.65 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।
- स- राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2011 से बी०पी०एल० परिवारों को ₹ 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् ₹ 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्त्योदय अन्न योजना

- अ- राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत 1,90,926 परिवारों का चयन किया गया है।
- ब- इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को गुलाबी रंग का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
- स- इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।
- द- राज्य के सभी जनपदों में प्रति राशन कार्ड 24.540 किलो ग्राम चावल एवम् 10.460 किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।
- य- इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को ₹ 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् ₹ 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।

(ब)

ए०पी०एल०

भारत सरकार के निर्देशानुसार ए०पी०एल० परिवारों को ₹ 8.45 प्रति किलो ग्राम चावल कॉमन एवम् ₹ 6.60 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु माह फरवरी, 2011 से राज्य सरकार ए०पी०एल० परिवारों को ₹ 6.00 प्रति किलो ग्राम की दर से चावल एवम् ₹ 4.00 प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 19,90,664 राशन कार्ड ए०पी०एल० श्रेणी के हैं।

(स)

चीनी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सभी कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें प्रति कार्ड धारक को निर्धारित मूल्य 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध करायी जाती है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्तमान आवंटन 6,033.00 मी०टन प्रतिमाह है। वर्तमान में राज्य में ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के कुल 24,88,664 राशन कार्ड हैं, जिनकी कुल यूनिट संख्या 1,13,28,140 है। शर्करा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु प्रतिमाह आवंटित लेवी चीनी के विरुद्ध चीनी मिलों से राज्य को प्राप्त हो रही लेवी चीनी की उपलब्धता के आधार पर प्रति यूनिट चीनी उपलब्ध करायी जाती है।

(द)

मिट्टी का तेल

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिये मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है। राज्य में सुगम, दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्रों में बिना गैस कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों एवम् सिंगल गैस कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नानुसार मिट्टी तेल शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर दिया गया है :-

| क्रमांक | क्षेत्र | सिंगल गैस कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों हेतु | बिना गैस कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों हेतु |
|---------|-----------|--|---|
| 1 | सुगम | 03 लीटर | 05 लीटर |
| 2 | दुर्गम | 05 लीटर | 07 लीटर |
| 3 | अतिदुर्गम | 05 लीटर | 10 लीटर |

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप)

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग का कार्य भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप प्रदेश में मैट्रिक बाटों, मापों तथा तौलने एवं मापने के यंत्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवम् सत्यापन तथा मुद्रांकन का कार्य सम्पादित करना एवं सही माप-तौल सुनिश्चित करना है।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 में विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, जिसके सापेक्ष ₹ 15,87,837.00 (रूपये पंद्रह लाख सत्तासी हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) की विभागीय आय अर्जित की गयी है।

अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक विभाग में प्रवर्तन कर्मियों द्वारा 43678 निरीक्षण किये गये जिसके विरुद्ध 3989 मामले विभाग द्वारा विभिन्न व्यापारियों की अनियमितताओं के विरुद्ध पंजीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें एल०पी०जी० गैस एजेन्सी के 42 मामले, पैकेज वस्तुओं के 97 मामले, पेट्रोल पम्पों के 84 मामले, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के 243 मामले, सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान के 52 मामले, गन्ना क्रय केन्द्र/क्रेन क्रशर/शुगर फैक्ट्री के 31 मामले, हार्डवेयर विक्रेताओं के 129 मामले, दूध विक्रेताओं के 85 मामले, गेहूँ क्रय केन्द्र के 23 मामले, आटा चक्कियों के 216 मामले, फैक्ट्रियों के 219 मामले, बुलियन/सर्राफ व्यापारियों के 154 मामले, मिठाई विक्रेताओं के 189 मामले, गल्ला किराना विक्रेताओं के 1071 मामले, धर्मकांटे के 67 मामले तथा सब्जी विक्रेताओं के 352 मामले तथा अन्य 958 मामले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में पकड़े गये 3989 मामलों में ₹ 13,94,500.00 (रूपये तेरह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ मात्र) समझौता शुल्क के रूप में वसूल किया जा चुका है।

विभाग में अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक प्रदेश के 66,395 व्यापारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 4,42,619 बाटों, मापों, तौलने के यंत्रों एवम् मापने के यंत्रों का सत्यापन-मुद्रांकन कराया गया है, जिनसे रूपये 1,61,29,399 मुद्रांकन शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया है।

विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य/बाटों-मापों का सत्यापन-मुद्रांकन का कार्य अविरल जारी है।

राज्य आयोग उपभोक्ता फोरम

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्च, 2004 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम को पुनः आंशिक रूप में फरवरी, 2005 में संशोधित किया गया है जिसके अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में एक लाख रुपये मूल्यांकन तक के परिवाद पर 100/- रुपये, एक लाख रुपये और उससे ऊपर किन्तु पाँच लाख रुपये मूल्यांकन से कम के परिवाद पर 200/- रुपये, पाँच लाख रुपये और उससे ऊपर किन्तु दस लाख रुपये से कम के मूल्यांकन के परिवाद पर 400/- रुपये एवं दस लाख रुपये और उससे ऊपर किन्तु बीस लाख रुपये से कम के मूल्यांकन के परिवाद पर 500/- रुपये परिवाद शुल्क निर्धारित किया गया है। अंत्योदय योजना कार्ड धारण करने वाले गरीबी रेखा के नीचे के अधीन व्यक्ति के लिए एक लाख रुपये तक के मूल्यांकन परिवाद दाखिल करने पर कोई परिवाद शुल्क नहीं है।

इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सीधे दाखिल होने वाली शिकायतों पर 50 लाख रुपये तक के मूल्यांकन पर 2,000/- रुपये शुल्क और 50 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन पर 4,000/- रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष सीधे दाखिल होने वाली शिकायतों पर 5,000/- रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा परिवाद शुल्क मार्च, 2004 से निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कोर्ट फीस/नकल फीस के रूप में कुल धनराशि रुपये 4,01,599/- की राजस्व प्राप्ति हुई है, जिसे खाद्य विभाग के प्राप्ति लेखा में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च, 2012 तक कुल 456 वाद दर्ज हुए एवम् कुल 477 वाद निस्तारित हुए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च, 2012 तक कुल 1434 वाद दर्ज हुए एवम् कुल 1210 वाद निस्तारित हुए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भारत सरकार की सहायता से राज्य के विभिन्न जनपदों में सौ (100) माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों (Consumer Clubs) की स्थापना स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से की गई है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को स्कूलों में उपभोक्ता अधिकार की जानकारी दी जा रही है।

रबी खरीद वर्ष 2010-11 एवम् 2011-12 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ के क्रय का विवरण

गेहूँ खरीद

राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित एवम् लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के निमित्त भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार की विभिन्न क्रय संस्थाओं द्वारा कुल 86237.513 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई जिसमें खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा 6592.100 मी०टन, सहकारिता विभाग द्वारा 61977.713 मी०टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 17667.700 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई है। क्रय की गई गेहूँ की मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल) को 17667.700 मी०टन एवम् विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता हेतु स्टेट पूल में 68567.939 मी०टन गेहूँ का सम्प्रदान किया गया है। क्रय की गई समस्त गेहूँ की मात्रा का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है।

रबी खरीद वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार की विभिन्न क्रय संस्थाओं द्वारा कुल 42040.390 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई जिसमें खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा 3415.800 मी०टन, सहकारिता विभाग द्वारा 32556.790 मी०टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 6067.800 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई है। क्रय की गई गेहूँ की मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल) को 6067.800 मी०टन एवम् विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता हेतु स्टेट पूल में 35971.583 मी०टन गेहूँ का सम्प्रदान किया गया है। क्रय की गई समस्त गेहूँ की मात्रा का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय केन्द्र खोलकर कृषकों से निम्न मात्रा में गेहूँ की खरीद की गयी, विवरण निम्नवत है :-

| रबी खरीद वर्ष | क्रय एजेन्सियों का नाम | | | (मात्रा मी०टन में) |
|---------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | खाद्य विभाग | सहकारिता विभाग | भारतीय खाद्य निगम | क्रय की गई कुल मात्रा |
| 2010-2011 | 6592.100 | 61977.713 | 17667.700 | 86237.513 |
| 2011-2012 | 3415.800 | 32556.790 | 6067.800 | 42040.390 |

खरीफ-खरीद वर्ष 2011-12 में लेवी योजना के अन्तर्गत धान/चावल के क्रय का विवरण

धान खरीद

विगत वर्षों की खरीद को दृष्टिगत रखते हुये खरीफ-खरीद वर्ष 2011-12 हेतु राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से 50 हजार मी०टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निमित्त राज्य में खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा), सहकारिता विभाग एवम् भारतीय खाद्य निगम को क्रय एजेन्सी नामित किया गया।

राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा यथा आवश्यकता पर्याप्त क्रय केन्द्र खोले गये, लेकिन राज्य की मण्डियों में अच्छे औसत किस्म (F.A.Q) धान के बाजार भाव समर्थन मूल्य के समान अथवा अधिक होने के कारण राज्य सरकार के क्रय केन्द्रों पर कुल 18838.870 मी०टन धान की खरीद हो सकी है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

| क्र०सं० | खरीफ-खरीद वर्ष | क्रय एजेन्सियों का नाम | | | क्रय की गई कुल मात्रा |
|---------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | खाद्य विभाग | सहकारिता विभाग | भारतीय खाद्य निगम | |
| 1. | 2011-2012 | 4335.160 | 11673.550 | 2830.160 | 18838.870 |

लेवी चावल खरीद

लेवी योजनान्तर्गत राज्य के राईस मिलर्स द्वारा क्रय किये गये धान पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चावल की खरीद की जाती है। खरीफ-खरीद वर्ष 2011-12 के लिये राज्य सरकार द्वारा लेवी चावल खरीद का लक्ष्य 4.00 लाख मी०टन निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-03-2012 तक कुल 306666.000 मी०टन लेवी चावल की खरीद हुई है।

विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत खरीफ-खरीद वर्ष 2011-12 के लिये राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अपनी वार्षिक आवश्यकता के लिये 1.70 लाख मी०टन चावल हेतु स्टेट पूल का प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-03-2012 तक स्टेट पूल में 128680 मी०टन लेवी चावल तथा 9899 मी०टन सी०एम०आर० (कस्टम मिल्ड राईस) का सम्प्रदान किया गया है।

लेवी चावल खरीद का विवरण निम्नवत है :-

| क्र०सं० | खरीफ-खरीद वर्ष | लेवी चावल का सम्प्रदान | | कुल खरीद |
|---------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | केन्द्रीय पूल | स्टेट पूल | |
| 1. | 2011-2012 दिनांक 31-03-2012 तक | 177986.000 | 128680.000 | 306666.000 |

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी का विवरण

वित्तीय वर्ष 2001-02

दिनांक 20-02-2002 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
कुल योग

रु० 10,01,00,000.00
रु० 10,01,00,000.00

वित्तीय वर्ष 2003-04

दिनांक 01-04-2003 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 03-11-2003 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 09-02-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 12-03-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 18-03-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
कुल योग

रु० 13,97,00,000.00
रु० 50,81,74,000.00
रु० 6,75,00,000.00
रु० 6,05,67,000.00
रु० 16,80,55,000.00
रु० 94,39,96,000.00

वित्तीय वर्ष 2004-05

दिनांक 23-07-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 14-09-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 29-09-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 17-12-2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 22-03-2005 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
कुल योग

रु० 17,88,88,000.00
रु० 20,21,00,000.00
रु० 24,97,00,000.00
रु० 13,66,00,000.00
रु० 16,00,00,000.00
रु० 92,72,88,000.00

वित्तीय वर्ष 2005-06

दिनांक 10-06-2005 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 22-09-2005 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 24-02-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
दिनांक 31-03-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी
कुल योग

रु० 23,84,00,000.00
रु० 21,88,00,000.00
रु० 12,44,00,000.00
रु० 19,91,68,000.00
रु० 78,07,68,000.00

वित्तीय वर्ष 2006-07

| | | |
|--|-----|------------------------|
| दिनांक 26-05-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 33,48,00,000.00 |
| दिनांक 30-05-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 20,02,00,000.00 |
| दिनांक 12-09-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 2,60,00,000.00 |
| दिनांक 12-09-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 14,10,00,000.00 |
| दिनांक 06-02-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 1,20,00,000.00 |
| दिनांक 22-03-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 11,17,00,000.00 |
| दिनांक 22-03-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 11,62,00,000.00 |
| कुल योग | रु० | <u>94,19,00,000.00</u> |

वित्तीय वर्ष 2007-08

| | | |
|--|-----|------------------------|
| दिनांक 27-06-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 12,81,00,000.00 |
| दिनांक 27-06-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 13,36,00,000.00 |
| दिनांक 07-02-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 13,39,00,000.00 |
| दिनांक 24-03-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 22,12,00,000.00 |
| दिनांक 24-03-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 6,97,00,000.00 |
| कुल योग | रु० | <u>68,65,00,000.00</u> |

वित्तीय वर्ष 2008-09

| | | |
|--|-----|------------------------|
| दिनांक 27-06-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 18,38,00,000.00 |
| दिनांक 27-06-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 11,35,00,000.00 |
| दिनांक 01-10-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 14,16,00,000.00 |
| दिनांक 05-12-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 24,90,00,000.00 |
| दिनांक 12-03-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 24,55,00,000.00 |
| दिनांक 20-03-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 2,95,00,000.00 |
| दिनांक 26-03-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० | 1,76,00,000.00 |
| कुल योग | रु० | <u>98,05,00,000.00</u> |

वित्तीय वर्ष 2009-10

| | |
|--|------------------------------|
| दिनांक 22-04-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 5,89,00,000.00 |
| दिनांक 08-06-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 25,31,00,000.00 |
| दिनांक 16-09-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 67,08,00,000.00 |
| दिनांक 16-09-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 48,01,00,000.00 |
| दिनांक 15-12-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 24,81,00,000.00 |
| दिनांक 24-12-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 1,79,00,000.00 |
| दिनांक 15-02-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 7,51,00,000.00 |
| दिनांक 29-03-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 18,60,00,000.00 |
| कुल योग | रु० 30,88,00,000.00 |
| | <u>रु० 2,29,88,00,000.00</u> |

वित्तीय वर्ष 2010-11

| | |
|--|-----------------------|
| दिनांक 16-04-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 25,09,00,000.00 |
| दिनांक 16-04-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 8,33,00,000.00 |
| दिनांक 06-07-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 14,75,00,000.00 |
| दिनांक 29-09-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 84,88,00,000.00 |
| दिनांक 29-09-2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 39,65,00,000.00 |
| दिनांक 17-03-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 47,21,00,000.00 |
| दिनांक 17-03-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 79,45,00,000.00 |
| कुल योग | रु० 2,99,36,00,000.00 |

वित्तीय वर्ष 2011-12

| | |
|--|-----------------------|
| दिनांक 18-08-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 13,14,00,000.00 |
| दिनांक 07-09-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 75,50,00,000.00 |
| दिनांक 07-09-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 52,70,00,000.00 |
| दिनांक 19-12-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 13,67,00,000.00 |
| दिनांक 19-12-2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 15,02,00,000.00 |
| दिनांक 28-03-2012 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 15,06,00,000.00 |
| दिनांक 28-03-2012 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी | रु० 32,88,00,000.00 |
| कुल योग | रु० 2,17,97,00,000.00 |

वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्राप्त सब्सिडी का प्रगामी योग

(रु० एक हजार चार सौ पचहत्तर करोड़ पचपन लाख बावन हजार मात्र)

रु० 1,475,55,52,000.00

वित्तीय वर्ष 2011-12 में ए०पी०एल० योजना के अर्न्तगत खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवम वितरण की स्थिति।

(मात्रा मी०टन में)

| माह का नाम | ए०पी०एल | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | चावल | | | गेहूँ | | |
| | आवंटन | उठान | वितरण | आवंटन | उठान | वितरण |
| अप्रैल, 2011 | 2324.000 | 2239.810 | 2257.960 | 14766.000 | 12055.671 | 14175.686 |
| मई, 2011 | 2324.000 | 2482.050 | 2897.369 | 14766.000 | 15695.222 | 14916.577 |
| जून, 2011 | 14353.000 | 14278.815 | 11746.050 | 30076.000 | 20564.503 | 17501.133 |
| जुलाई, 2011 | 13725.000 | 8436.803 | 9129.982 | 21803.000 | 19406.452 | 19872.761 |
| अगस्त, 2011 | 3432.000 | 10536.133 | 11790.698 | 21803.000 | 21643.789 | 19590.156 |
| सितम्बर, 2011 | 17717.714 | 23284.487 | 15320.667 | 21803.000 | 13429.906 | 16328.230 |
| अक्टूबर, 2011 | 17717.714 | 6377.372 | 11828.040 | 21803.000 | 19553.533 | 19875.496 |
| नवम्बर, 2011 | 17717.714 | 17318.646 | 15051.227 | 21803.000 | 19904.817 | 18950.569 |
| दिसम्बर, 2011 | 17717.714 | 32738.271 | 21986.633 | 21803.000 | 14449.100 | 14184.835 |
| जनवरी, 2012 | 17717.714 | 6548.321 | 16151.995 | 21803.000 | 19322.396 | 16460.182 |
| फरवरी, 2012 | 17717.714 | 5673.924 | 9919.672 | 21803.000 | 23240.772 | 21067.906 |
| मार्च, 2012 | 17717.714 | 4450.716 | 6397.654 | 21803.000 | 18682.448 | 20728.213 |
| कुल योग | 160181.998 | 134365.348 | 134477.947 | 255835.000 | 217948.609 | 213651.744 |

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बी०पी०एल० योजना के अर्न्तगत खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवम् वितरण की स्थिति।

| माह का नाम | बी०पी०एल० (मात्रा मी०टन में) | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | चावल | | | गेहूँ | | |
| | आवंटन | उठान | वितरण | आवंटन | उठान | वितरण |
| अप्रैल, 2011 | 8924.500 | 9491.606 | 9258.912 | 5006.833 | 4699.265 | 5072.117 |
| मई, 2011 | 8924.500 | 8341.989 | 9502.908 | 5006.833 | 5118.659 | 5276.619 |
| जून, 2011 | 11088.700 | 8127.615 | 8566.939 | 6661.433 | 3542.491 | 4296.689 |
| जुलाई, 2011 | 9285.200 | 10375.163 | 9259.707 | 5282.600 | 6354.864 | 4799.923 |
| अगस्त, 2011 | 9285.200 | 7282.023 | 6761.407 | 5282.600 | 4278.287 | 3922.432 |
| सितम्बर, 2011 | 9285.200 | 6297.781 | 7686.669 | 5282.600 | 4298.724 | 4287.776 |
| अक्टूबर, 2011 | 9285.200 | 8711.508 | 7598.104 | 5282.600 | 5452.883 | 4468.659 |
| नवम्बर, 2011 | 9285.200 | 8742.908 | 8725.018 | 5282.600 | 4642.394 | 4809.828 |
| दिसम्बर, 2011 | 9285.200 | 7431.267 | 8244.056 | 5282.600 | 3147.036 | 4449.628 |
| जनवरी, 2012 | 9285.200 | 10963.665 | 8866.358 | 5282.600 | 5457.457 | 4936.706 |
| फरवरी, 2012 | 9285.200 | 9704.513 | 9883.528 | 5282.600 | 5666.028 | 4813.882 |
| मार्च, 2012 | 9285.200 | 9801.179 | 10019.570 | 5282.600 | 5907.696 | 5110.830 |
| कुल योग | 112504.500 | 105271.217 | 104373.176 | 64218.499 | 58565.784 | 56245.089 |

वित्तीय वर्ष 2011-12 में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवम् वितरण की स्थिति।

| माह का नाम | अन्त्योदय अन्न योजना (मात्रा मी०टन में) | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | चावल | | | गेहूँ | | |
| | आवंटन | उठान | वितरण | आवंटन | उठान | वितरण |
| अप्रैल, 2011 | 4685.000 | 4112.660 | 4239.917 | 1997.000 | 1575.068 | 1825.919 |
| मई, 2011 | 4685.000 | 4103.943 | 4436.867 | 1997.000 | 2000.967 | 1962.905 |
| जून, 2011 | 4685.000 | 3584.430 | 3923.535 | 1997.000 | 1542.089 | 1699.224 |
| जुलाई, 2011 | 4685.000 | 4856.152 | 4577.555 | 1997.000 | 2330.438 | 2323.613 |
| अगस्त, 2011 | 4685.000 | 2649.302 | 3796.605 | 1997.000 | 1187.971 | 1593.877 |
| सितम्बर, 2011 | 4685.000 | 4102.299 | 4297.736 | 1997.000 | 1585.401 | 1880.008 |
| अक्टूबर, 2011 | 4685.000 | 3792.866 | 4124.971 | 1997.000 | 2088.327 | 1840.280 |
| नवम्बर, 2011 | 4685.000 | 5106.273 | 4586.975 | 1997.000 | 1846.325 | 2091.390 |
| दिसम्बर, 2011 | 4685.000 | 4327.480 | 4387.168 | 1997.000 | 1488.741 | 1787.990 |
| जनवरी, 2012 | 4685.000 | 5622.304 | 4586.229 | 1997.000 | 2292.555 | 2116.029 |
| फरवरी, 2012 | 4685.000 | 5588.636 | 5085.437 | 1997.000 | 2164.315 | 2042.530 |
| मार्च, 2012 | 4685.000 | 6830.988 | 5163.542 | 1997.000 | 2590.787 | 2142.711 |
| कुल योग | 56220.000 | 54677.333 | 53206.537 | 23964.000 | 22692.984 | 23306.476 |

वित्तीय वर्ष 2011-12 में चीनी एवम् मिट्टी तेल के आवंटन, उठान एवम् वितरण की स्थिति।

| माह का नाम | चीनी (मात्रा - मी०टन में।) | | | मिट्टी तेल (मात्रा - के०एल० में।) | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|
| | आवंटन | उठान | वितरण | आवंटन | उठान | वितरण |
| अप्रैल, 2011 | 6033.000 | 5942.320 | 6263.400 | 9216.000 | 9237.000 | 9613.914 |
| मई, 2011 | 6033.000 | 6587.950 | 6071.500 | 9216.000 | 9166.000 | 9312.802 |
| जून, 2011 | 6033.000 | 5699.550 | 5964.320 | 8904.000 | 8792.000 | 8549.935 |
| जुलाई, 2011 | 6033.000 | 4684.500 | 5588.470 | 8864.000 | 8851.000 | 9031.112 |
| अगस्त, 2011 | 6033.000 | 4970.500 | 4952.650 | 8864.000 | 8843.000 | 8794.854 |
| सितम्बर, 2011 | 6033.000 | 5171.372 | 5322.810 | 8864.000 | 7827.000 | 7855.586 |
| अक्टूबर, 2011 | 6033.000 | 6385.000 | 5827.186 | 8888.000 | 8680.720 | 8414.695 |
| नवम्बर, 2011 | 6033.000 | 6025.600 | 6128.422 | 8888.000 | 8455.740 | 7712.083 |
| दिसम्बर, 2011 | 6033.000 | 6088.550 | 6025.050 | 8888.000 | 8882.400 | 8950.840 |
| जनवरी, 2012 | 6033.000 | 7446.050 | 6084.210 | 8877.000 | 8847.736 | 8828.794 |
| फरवरी, 2012 | 6033.000 | 4639.450 | 5961.350 | 8877.000 | 8832.800 | 8903.393 |
| मार्च, 2012 | 6033.000 | 4790.200 | 5346.440 | 8877.000 | 8949.800 | 8918.948 |
| कुल योग | 72396.000 | 68431.042 | 69535.808 | 107223.000 | 105365.196 | 104886.956 |

वित्तीय वर्ष 2011-12 में घरेलू/व्यवसायिक गैस सिलैण्डरों की संख्या एवम् वितरण

| क्र०सं० | सम्भाग का नाम | जनपद का नाम | घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या | घरेलू सिलैण्डरों का वितरण (14.2 Kg.) | व्यवसायिक उपभोक्ताओं की संख्या | (सिलैण्डर में) व्यवसायिक सिलैण्डरों का वितरण (19.0 Kg.) |
|---------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | गढ़वाल सम्भाग | उत्तरकाशी | 55301 | 247874 | 784 | 3246 |
| 2. | | पौड़ी गढ़वाल | 179909 | 764710 | 1288 | 16851 |
| 3. | | टिहरी गढ़वाल | 129349 | 490745 | 958 | 7120 |
| 4. | | चमौली | 83148 | 291762 | 1282 | 11478 |
| 5. | | रूद्रप्रयाग | 44870 | 163240 | 655 | 3296 |
| 6. | | देहरादून | 487486 | 3099729 | 7124 | 123587 |
| 7. | | हरिद्वार | 227537 | 1737036 | 3308 | 106833 |
| योग | | | 1207600 | 6795096 | 15399 | 272411 |
| 8. | कुमायूँ सम्भाग | उधमसिंहनगर | 211691 | 1716423 | 2792 | 62803 |
| 9. | | नैनीताल | 158116 | 1209523 | 2943 | 42192 |
| 10. | | अल्मोड़ा | 78780 | 403671 | 770 | 7769 |
| 11. | | चम्पावत | 40034 | 183680 | 487 | 2449 |
| 12. | | बागेश्वर | 32345 | 131956 | 434 | 1694 |
| 13. | | पिथौरागढ़ | 95717 | 470033 | 671 | 4219 |
| योग | | | 616683 | 4115286 | 8097 | 121126 |
| महायोग | | | 1824283 | 10910382 | 23496 | 393537 |

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत किये गये प्रवर्तन कार्य सम्बन्धी सूचना
(खाद्यान्न / चीनी / मिट्टी तेल / एलपीजी गैस / पेट्रोल / डीजल)

(वर्ष 2011-2012)

| क्र० सं० | मह का नाम | नियमित निरीक्षण | एफआईआर दर्ज | गिरफ्तारी | पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण (₹ में) | निलम्बित लाईसेन्स संख्या | निरस्त लाई० | जब्त प्रतिभूति (₹ में) | अर्थदण्ड (₹ में) |
|----------|-------------|-----------------|---|----------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|--|
| 1. | अप्रैल 2011 | 1335 | पौड़ी 01, उत्तरकाशी 01, देहरादून 01, हरिद्वार 01 एवं चम्पावत 01 | चम्पावत 03 | हरिद्वार में 10 के०.एल० डीजल, 23 घरेलू गैस सिलैण्डर एवं 01 टैंकर अनुमानित मूल्य 15 लाख ₹ टिहरी में 14 गैस सिलैण्डर चम्पावत में 30 सिलैण्डर एवं 85 ली० मिट्टी तेल बागेश्वर में 03 गैस सिलैण्डर | 10 | 04 | 62575 | उत्तरकाशी ₹ 5000 उधमसिंह नगर में ₹ 6650 चम्पावत में ₹ 13000 देहरादून में ₹ 6000 |
| 2. | मई 2011 | 1071 | हरिद्वार 01, नैनीताल 01 | नैनीताल 01 | रूद्रप्रयाग में 17 गैस सिलैण्डर हरिद्वार में 10 के०.एल० डीजल, 01 टैंकर अनुमानित मूल्य 12 लाख ₹ नैनीताल में 19 गैस सिलैण्डर तथा 01 मारुति कार उधमसिंह नगर में 47 सिलैण्डर (₹ 58750) | 07 | 06 | 41916 | उत्तरकाशी ₹ 15177 उधमसिंह नगर में ₹ 22800 |
| 3. | जून 2011 | 867 | उधमसिंह नगर 01 | - | उधमसिंह नगर में 100.75 कुन्तल ए०पी०एल० चावल (₹ 60450) | 14 | 08 | 38000 | उत्तरकाशी ₹ 7018 उधमसिंह नगर में ₹ 22800 चम्पावत में ₹ 1350 पिथौरागढ़ में ₹ 16500 |
| 4. | जुलाई 2011 | 973 | उधमसिंह नगर 03 एवं चम्पावत 01 | उधमसिंह नगर 04 | टिहरी में 19 गैस सिलैण्डर नैनीताल में 04 घरेलू गैस सिलैण्डर, 01 व्यावसायिक तथा 13 छोटे सिलैण्डर उधमसिंह नगर में 36 सिलैण्डर (₹ 58750) 20 हजार ली० मि० तेल (₹ 272400) चम्पावत में 05 कु० ए०पी०एल० गेहूँ एवं 05 कु० ए०पी०एल० चावल (₹ 5000.00) | 17 | 08 | 47700 | रूद्रप्रयाग ₹ 11296 उत्तरकाशी ₹ 21340 उधमसिंह नगर में ₹ 12350 चम्पावत में ₹ 500 पिथौरागढ़ में ₹ 3000 |

| क्र० सं० | मह का नाम | नियमित निरीक्षण | एफ०आई०आर० दर्ज | गिरपतारी | पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण (₹ में) | निलम्बित लाईसेन्स संख्या | निरस्त लाई० | जब्त प्रतिमूले (₹ में) | अर्थदण्ड (₹ में) |
|----------|---------------|-----------------|--|--|---|--------------------------|-------------|------------------------|--|
| 5. | अगस्त 2011 | 1127 | देहरादून 02 एवं उधमसिंह नगर 01 | उधमसिंह नगर 01 एवं चम्पावत 01 | <u>उधमसिंह नगर में</u> 100 कट्टा चावल (₹30000) तथा घरेलू के 29 सिलै० (₹36250), व्यावसायिक के 02 सिलै० (₹3400) एवं 05 किग्रा० के 08 सिलै० (₹2800) <u>पिथौरागढ़ में</u> 14 सिलै० | 16 | 02 | 47750 | उत्तरकाशी ₹ 10229 उधमसिंह नगर में ₹ 7600 चम्पावत में ₹ 20605 देहरादून में ₹ 6000 |
| 6 | सितम्बर, 2011 | 1255 | हरिद्वार-03, नैनीताल-01 एवं उधमसिंह नगर में-01 | हरिद्वार-03, नैनीताल-01 एवं उधमसिंह नगर में-02 | देहरादून में 20 घरेलू सिलै०, हरिद्वार में 13 घरेलू सिलै०, पाँच कि०ग्रा० वाले 14 सिलै०, दे कि०ग्रा० वाला एक सिलै०, दे रिफ्लर।, नैनीताल में 22 घरेलू सिलै० 02 छोटे सिलै० एवं 01 मारुति कार। उधमसिंह नगर में 3740 लीटर मिट्टी तेल (₹ 50938.80) तथा 09 घरेलू गैस सिलै० (₹ 11250.00) | 10 | 10 | 34212 | उत्तरकाशी ₹ 8826 देहरादून में ₹ 5000 नैनीताल में ₹ 1000 पिथौरागढ़ में ₹ 20000 उधमसिंह नगर में ₹ 13300, चम्पावत में ₹ 1000 |
| 7 | अक्टूबर 2011 | 1169 | - | - | हरिद्वार में 1160 ली० डीजल (₹ 58000) नैनीताल में 86/01 छोटे गैस सिलै०, अल्मोड़ा में 17 सिलै०, पिथौरागढ़ में 06 सिलै०, चम्पावत में 05 सिलै० एवं बागेश्वर में 20 घरेलू सिलै० | 08 | 13 | 29500 | उत्तरकाशी में ₹ 5500 अल्मोड़ा में ₹ 7000 उधमसिंह नगर में ₹ 2850 चम्पावत में ₹ 6500 |
| 8 | नवम्बर 2011 | 945 | - | - | हरिद्वार में 1 ट्रैक्टर ट्राली (₹200000.00), 130 कट्टे गेहूँ वजन 65 कु०, (₹78000) 06 घरेलू सिलै०, नैनीताल में 04 घरेलू सिलै०, अल्मोड़ा में 05 सिलै० | 05 | 00 | 28812 | उत्तरकाशी में ₹12000 चमोली में ₹70000 नैनीताल में ₹11800 अल्मोड़ा में ₹5000 उधमसिंह नगर में ₹1900 चम्पावत में ₹1500 बागेश्वर में ₹2600 |

| क्र० सं० | मह का नाम | नियमित निरीक्षण | एफ०आई०आर० दर्ज | गिरफ्तारी | पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण (₹ में) | निलम्बित लाईसेन्स संख्या | निरस्त लाई० | जब्त प्रतिभूति (₹ में) | अर्थदण्ड (₹ में) |
|----------|--------------|-----------------|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 9 | दिसम्बर 2011 | 990 | बागेश्वर-01, नैनीताल-01, हरिद्वार-04 | नैनीताल-0 1 | नैनीताल में 08 घरेलू गैस सिलैव एवं एक छोटा सिलैव (05 कि०ग्रा०) उधमसिंह नगर 148 कुन्तल चावल (₹88800) | 05 | 04 | 56500 | उत्तरकाशी में ₹17288 देहरादून ₹3000 नैनीताल में ₹41800 बागेश्वर में ₹11100 |
| 10 | जनवरी, 2012 | 752 | नैनीताल-02, उधमसिंहनगर-01 | नैनीताल-0 2 | नैनीताल में 33 घरेलू गैस सिलैव एवं एक छोटा सिलैव (05 कि०ग्रा०) उधमसिंह नगर 148 कुन्तल चावल (₹88800) | 03 | 04 | 20000 | उत्तरकाशी में ₹3288 नैनीताल में ₹2000 बागेश्वर में ₹13500 |
| 11 | फरवरी, 2012 | 769 | देहरादून-01, हरिद्वार-01, उधमसिंहनगर-01, चम्पावत-01 | हरिद्वार-02, चम्पावत-02 | देहरादून-15 सिलैव हरिद्वार-211 कु० गेहूँ जब्त किया गया तथा 01 छोटी गाडी एवं एक महिन्द्रा पिकअप, 19 घरेलू सिलैव नैनीताल-07 घरेलू सिलैव अल्मोड़ा-10 घरेलू सिलैव उधमसिंह नगर-14 कि०ग्रा०-41 (₹ 51250) चम्पावत-90 लीटर मिट्टी तेल | 02 | 04 | 11000 | उत्तरकाशी में ₹27000 देहरादून ₹ 15495 नैनीताल में ₹ 14900 अल्मोड़ा में ₹ 4000 उधमसिंह नगर में ₹35150 चम्पावत में ₹ 750 |
| 12 | मार्च, 2012 | 908 | 00 | 00 | देहरादून-67 सिलैव, टिहरी-1 घरेलू गैस सिलैव अल्मोड़ा-1 घरेलू गैस सिलैव उधमसिंह नगर-1 घरेलू गैस सिलैव (₹ 1250) चम्पावत-12 गैस सिलैव | 00 | 10 | 12374 | नैनीताल में ₹30800 अल्मोड़ा में ₹ 18200 पिथौरागढ़ में ₹ 3310 उधमसिंह नगर में ₹14250 |
| | योग | 10047 | 33 | 23 | ₹ 3771063.000 | 93 | 73 | ₹ 430339 | ₹ 640822.00 |

उत्तराखण्ड में जनपदवार उचित दर की दुकानों की संख्या
(मार्च, 2012)

| क्र०सं० | सम्भाग का नाम | जनपद का नाम | कुल दुकानों की संख्या | | |
|---------|----------------|--------------|-----------------------|---------|------|
| | | | शहरी | ग्रामीण | योग |
| 1. | गढ़वाल सम्भाग | पौड़ी गढ़वाल | 58 | 855 | 913 |
| 2. | | रूद्रप्रयाग | 07 | 371 | 378 |
| 3. | | टिहरी गढ़वाल | 33 | 1026 | 1059 |
| 4. | | उत्तरकाशी | 13 | 520 | 533 |
| 5. | | हरिद्वार | 122 | 390 | 512 |
| 6. | | देहरादून | 329 | 606 | 935 |
| 7. | | चमोली | 32 | 740 | 772 |
| योग | | | 594 | 4508 | 5102 |
| 8. | कुमायूँ सम्भाग | नैनीताल | 133 | 437 | 584 |
| 9. | | अल्मोड़ा | 42 | 894 | 936 |
| 10. | | पिथौरागढ़ | 50 | 716 | 766 |
| 11. | | उधमसिंह नगर | 202 | 408 | 610 |
| 12. | | बागेश्वर | 03 | 430 | 433 |
| 13. | | चम्पावत | 11 | 318 | 329 |
| योग | | | 441 | 3203 | 3658 |
| महायोग | | | 1035 | 7711 | 8760 |

**उत्तराखण्ड में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शहरी एवम् ग्रामीण राशन कार्डों का जनपदवार विवरण
(मार्च, 2012)**

| क्र० सं० | जनपद का नाम | ए०पी०एल० राशन कार्ड | | | बी०पी०एल० राशन कार्ड | | | अन्त्योदय राशन कार्ड | | | महायोग |
|------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी | योग | |
| 1. | पौड़ी गढ़वाल | 136603 | 27416 | 164019 | 17138 | 155 | 17293 | 15669 | 453 | 16122 | 197434 |
| 2. | रूद्रप्रयाग | 42282 | 1825 | 44107 | 10472 | 114 | 10586 | 4563 | 54 | 4617 | 59310 |
| 3. | टिहरी गढ़वाल | 114295 | 12705 | 127000 | 25520 | 74 | 25594 | 24084 | 72 | 24156 | 176750 |
| 4. | उत्तरकाशी | 42109 | 4296 | 46405 | 14501 | 222 | 14723 | 13511 | 206 | 13717 | 74845 |
| 5. | हरिद्वार | 234577 | 113353 | 347930 | 32782 | 5307 | 38089 | 30195 | 4939 | 35134 | 421153 |
| 6. | देहरादून | 184315 | 175260 | 359575 | 27344 | 6072 | 33416 | 11898 | 2677 | 14575 | 407566 |
| 7. | चमोली | 44503 | 11017 | 55520 | 12059 | 8373 | 20432 | 7336 | 1576 | 8912 | 84864 |
| 8. | नैनीताल | 139883 | 89260 | 229143 | 17252 | 2133 | 19385 | 16364 | 1696 | 18060 | 266588 |
| 9. | अल्मोड़ा | 97516 | 14801 | 112317 | 33327 | 444 | 33771 | 14524 | 205 | 14729 | 160817 |
| 10. | पिथौरागढ़ | 74447 | 14491 | 88938 | 24832 | 234 | 25066 | 10585 | 348 | 10933 | 124937 |
| 11. | उधमसिंह नगर | 204502 | 130511 | 335013 | 33511 | 6130 | 39641 | 14478 | 2811 | 17289 | 391943 |
| 12. | बागेश्वर | 40772 | 1883 | 42655 | 15297 | 164 | 15461 | 6671 | 72 | 6743 | 64859 |
| 13. | चम्पावत | 32108 | 5934 | 38042 | 13553 | 64 | 13617 | 5756 | 183 | 5939 | 57598 |
| योग | | 1387912 | 602752 | 1990664 | 277588 | 29486 | 307074 | 175634 | 15292 | 190926 | 2488664 |
| | | ए०पी०एल० राशन कार्ड 1990664 + बी०पी०एल० राशन कार्ड 307074 + अन्त्योदय राशन कार्ड 190926 = 2488664 | | | | | | | | | |